(19)

संख्या–151/XLI-1(प्रशि.)/2011-18/10

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी/रूद्रप्रयाग/अल्मोड़ा/बागेश्वर/
पिथौरागढ़/चम्पावत/उधमसिंहनगर।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग** देहरादूनः दिनांक 24 जून, 2011

**विषयः– पी0एल0ए0 में जमा अवशेष धनराशि के व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–02/XLI-1/11, दिनांक 31.03.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान की मद संख्या–26 मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र के अन्तर्गत ₹2,72,14,903–00 (रूपये दो करोड़ बहत्तर लाख चौदह हजार नौ सौ तीन मात्र) तथा अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण–02–अनुसूचित/जनजातियों का कल्याण–0201–दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रूद्रप्रयाग आदि आई0टी0आई0 हेतु मद संख्या–26 मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र मद में ₹89,82,586–00 (रूपये नवासी लाख बयासी हजार पॉच सौ छियासी मात्र) अर्थात कुल ₹3,61,97,489–00 (रूपये तीन करोड़ इकसठ लाख सत्तानब्बे हजार चार सौ नवासी मात्र) की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारी के पी0एल0ए0 में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– अतः निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–151/डीटीईयू/लेखा/ पी0एल0ए0/2011, दिनांक 09.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2011 के द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारी के पी0एल0ए0 में जमा उपरोक्त कुल धनराशि ₹3,61,97,489–00 (रूपये तीन करोड़ इकसठ लाख सत्तानब्बे हजार चार सौ नवासी मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में पी0एल0ए0 चैक से भुगतान/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्त धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. मशीनरी/साज–सज्जा आदि सामग्री के क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित प्रकिया/व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत किया जाय।

4. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि से सामग्री/उपकरण आदि के क्रय के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण, प्रश्नगत सामग्री/उपकरणों की सूची सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक,प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/रूद्रप्रयाग/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/उधमसिंहनगर/हल्द्वानी।
4. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी।
5. प्रधानाचार्य/आहरण–वितरण अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बूंगीधार/अगत्स्यमुनि/बमस्यूं/कठपुडियाछीना/सराईखेत/जौरासी/काण्डा/टनकपुर/रूद्रप्रयाग/दिनेशपुर।
6. एनआईसी, सचिवालय।
7. नियोजन विभाग/वित्त विभाग–5
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव